# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

( पीठासीन अधिकारीः जगदीश आर्य , आर.ए.एस. )

वाद पत्र सं0—— 11/2016

प्रविष्टि दिनांक —— 05.08.2014

## उनवान

1. छीतर पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
2. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0

— वादी

## बनाम

1. छोटूलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
2. नाथुलाल पुत्र नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
3. रतिराम पुत्र नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
4. गुलाब पुत्री नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
5. शान्ति पुत्री नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
6. नारायण पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
7. बनवारी पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
8. प्रेम पुत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
9. कन्या पूत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
10. कमला पुत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
11. कैसर बेवा पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
12. तहसीलदार टोंक !

— प्रतिवादीगण

उपस्थित— श्री आशीष कुमार पाल —वकील वादी

वाद पत्र बाबत— उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

## निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज॰)

दिनांक— 25/03/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भुमि खसरा नम्बर 480/813 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 530 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 में हो रखा है जो वर्तमान में प्रतिवादी गण की

Scanned by CamScanner

खातेदारी में अंकित हैं। यह कि उपरोक्त वर्णित आराजियात के साबिका खसरा नम्बरान निम्न प्रकार है –

| हाल ख0न0 | रकबा | साबिका ख0न0 | रकबा |
|---|---|---|---|
| 480/813 | 0–14 | 413 मिन | 0–14 |
| 530 | 3–09 | 456 | 3–09 |
| 420 | 4–19 | 487 | 4–19 |

वादी गण व प्रतिवादी के पुर्वज लक्ष्मण बैरवा थे और वादीगण व प्रतिवादीगण उक्त लक्ष्मणा के उत्तरधिकारी वारिसान हैं। जिनके परिवार सजरा इस प्रकार है :–

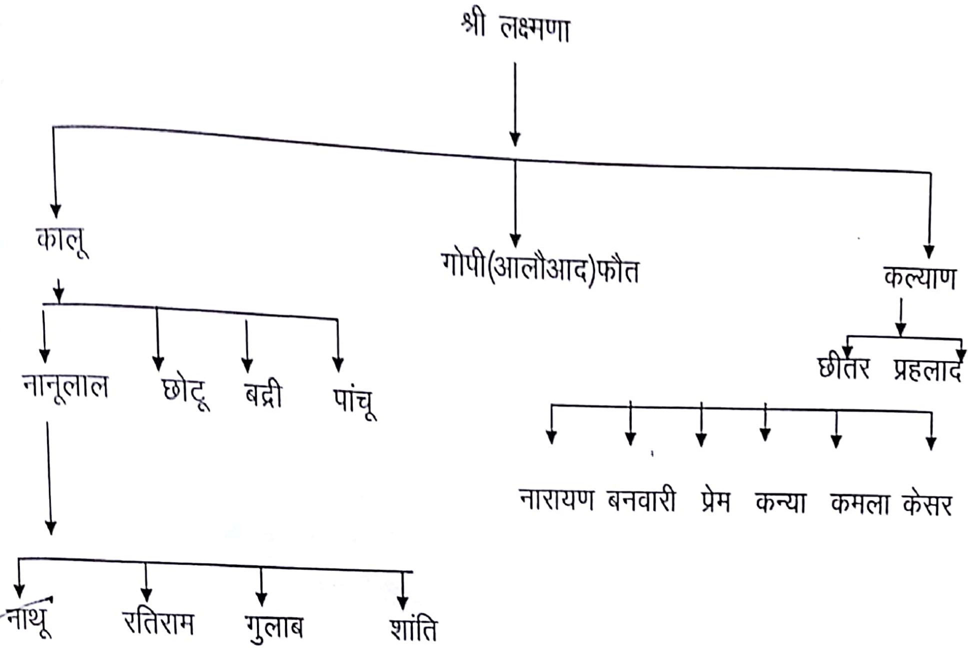


इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज लक्ष्मणा की थी और लक्ष्मणा के तीन पुत्र क्रमशः कालू, गोपी व कल्याण पेदा हुए। जिनमें से गोपी लाऔलाद फोत जो गया था। लक्ष्मणा के स्वर्गवास होने पर वक्त आराजियात उसके पुत्रों कालू व कल्याण के नाम बहिस्सा बराबर यानि 1/2, 1/2 हिस्से के अनुसार दर्ज होनी चाहिए थी। परन्तु तत्समय के प्रचलन के अनुसार जो परिवार में बड़ा पुत्र होता था उसी के नाम आराजियात अंकित कर दी जाती थी। जिससे लक्ष्मणा का सबसे बड़ा पुत्र कालू के नाम होने पर उक्त आराजियात को कालू के नाम होने पर उक्त आराजियात को कालू के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया। परन्तु उक्त आराजियात पर वादीगण के पिता कल्याण व कालू के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया। परन्तु उक्त आराजियात पर वादीगण के पिता कल्याण व कालू मोके पर उक्त आराजियात पर अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर अपने जीवन काल तक काबिज रहे है और उसके बाद अब वादीगण अपने 1/2, 1/2 हिस्से पर अपने जीवन काल तक काबिज रहे है और उसके बाद अब वादीगण अपने 1/2 हिस्से की आराजीयात पर काबिज है व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से पर काबिज है। जो अपने पूर्वजों के समय से अर्थात 100 वर्षों से भी अधिक समय से मोके पर उक्त आराजीयात पर उपरोक्तानुसार काबिज चले आ रहे है। कालू के स्वर्गवास होने पर उक्त आराजियात को उसके बड़े पुत्र नानू के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 97... (अपठनीय) दिनांक 21.07.1956 के द्वारा अंकित कर दिया गया। इस प्रकार उक्त आराजियात को गलत रूप से पूर्व में अकेले कालू के नाम और कालू के स्वर्गवास होने पर अकेले नानूलाल के नाम अंकित कर दिया गया। स्वर्गीय कालू के भी चार पुत्र थे जिनमें से बद्री अन्यत्र गोद चला गया। उसके बाद प्रतिवादीगण ने आपस में साजिश करके न्यायालय हाजा में तथ्यों को छिपाते हुए वाद करके उक्त आराजियत को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के नाम 1/3

Scanned by CamScanner

हिस्सा अंकित करवा लिया। उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2014 से प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा के तथ्यों को छिपाते हुए उक्त आराजीयात को अपने पूर्वज कालू की तन्हा बताते हुए पारित करवायी गई है। जबकि उक्त आराजियात कालू की सवअर्जित नहीं थी बल्कि उसे लक्ष्मणा के बड़ा पुत्र होने से प्राप्त हुई थी। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा था। जिससे उक्त निर्णय व डिक्री वादीगण के हितों के प्रति प्रभावहीन व शून्य है। जबकि वादीगण का उक्त आराजीयात पर गत सैकड़ों वर्षो से मोके पर कब्जा व काश्त निर्बाध, निविर्घिन रूप से अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है वादीगण इस भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा होने से तहत कानून भी खातेदार काश्तकार हो चुके है। इस कारण वादीगण को उपरोक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत 2069–72, खसरा गिरदावरी वाके ग्राम धोलाखेड़ा, पेश की गयी।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य हेतु पीडब्ल्यू–1 छीतर, पीडब्ल्यू–2 प्रहलाद एंव पीडब्ल्यू–3 भगवानदास के शपथ पत्र पेश किये गये।

वकील वादीगण की एक तरफा बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी में विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज लक्ष्मणा का नाम अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के पूर्वजों से प्रतिवादीगण के नाम आयी है, स्वअंर्जित संपंति नहीं है। वादपत्र में उल्लेखित सजरे के अनुसार लक्ष्मणा की मृत्यु होने पर नियमानुसार वादीगण के पिता कल्याण एंव उसके बाद उनके नाम खातेदारी में आनी चाहिए थी, जिसके की वे अधिकारी है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी है।

## आदेश

अतः वादगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 480/813 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 530 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील व जिला टोंक (राज0) का वादीगण छीतर व प्रहलाद दोनों पत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी छावनी टोंक को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार से मजाहमत, मदाखलतन नही करे ओर ना ही करावें।

यह निर्णय आज दिनांक 25/03/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
**उपखण्ड अधिकारी, टोंक**

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

# डिक्री मुकद्‌दमा इब्तदाई

## (ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुकाम टोंक व अलजाम श्री जगदीश आर्य, आर.ए.एस. द्वारा अध्याशित

### उनवान

1. छीतर पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
2. प्रहलाद पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक

– वादीगण

**बनाम**

1. छोटूलाल पुत्र कालू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक
2. नाथुलाल पुत्र नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक
3. रतिराम पुत्र नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक
4. गुलाब पुत्री नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक
5. शान्ति पुत्री नानूलाल जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक
6. नारायण पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
7. बनवारी पुत्र पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
8. प्रेम पुत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
9. कन्या पूत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
10. कमला पुत्री पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
11. कैसर बेवा पांचू जाति बैरवा निवासी गडरियों का मोहल्ला गणेश रोड, छावनी टोंक तह0 व जिला टोंक राज0
12. तहसीलदार टोंक !

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री आशीष कुमार पाल –वकील वादी

### वाद पत्र बाबत– उद्‌घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं0 11/2016

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्‌दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी जाती है कि

अतः वादगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 480/813 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 530 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम धोलाखेड़ा तहसील व जिला टोंक (राज0) का वादीगण छीतर व प्रहलाद दोनों पत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी छावनी टोंक को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार से मजाहमत, मदाखलतन नही करे ओर ना ही करावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 25/03/2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

मोहर

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

| मुद्‌दई | रूपये | पैसे | मुद्‌दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महन्तनामा वकील | | |
| महन्तनामा वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिंक | | |
| मुतफरिंक | | | | | |
| मीशान | | | मिजान | | |

नोटः–इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

द0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner